FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0099 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/05/2024 18:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 15:15 बजे **Time To (समय तक):** 12:05 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/05/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/05/2024 18:34:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** VILLAGE KUNDANPURA PS SEDWA, BARMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JAMEEL KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NAJRA KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE KUNDANPURA, SEDWA, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VILLAGE KUNDANPURA, SEDWA, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9166347240

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHANKAR LAL MEENA		पिता:MOHANLAL MEENA	1. MAOJPURA POST FULETA,NAGAR,TONK,RAJASTHAN,INDIA
2	SUBHAN KHAN		पिता:DAOST ALI	1. KUNNDANPURA,SEDWA,BARM

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि बारह हजार	12,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रूपये	12,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर विषयः- ग्राम विकास अधिकारी कुन्दनपुरा द्वारा रिष्वत मांगने से कानूनी कार्यवाही बाबत्। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि में प्रार्थी जमील खांS/O श्री नजरा खांमुसलमान निवासी मांझी का तला ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की अरज हैं कि वर्ष 2023-24 में महा नरेगा योजनान्तर्गत मेरे नाम से टांका व जमीन समतलीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ टांका निर्माण मेरे घर के पास कर लिया हैं तथा जमीन समतलीकरण का कार्य कर दिया हैं, उक्त कार्य 3०:00 लाख सेक्षन जिसमें से 1०:20 मेटेरियल व 1०:80 लाख लेबर राषि हैं, लेबर राषि के मस्ट्रोल भरने व भरने पर राषि लेबर के खातों में आती हैं, इस समय तक लेबर मेरे लगभग 69000 रू पेमेन्ट आया हैं शेष पेमेन्ट कराने,व मस्ट्रोल में नाम लिखाने मस्ट्रोल जारी करने के लिए ऐवज में श्री शंकरलाल मीना VDO कुन्दनपुरा मेरे से 10,000 का रिष्वत की मांग कर रहा हैं, जबकि में उस मेरे जायज कार्य की ऐवज में रिष्वत नहीं देना चाहता हूं। में उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे व ग्राम विकास अधिकारी के बीच कोई रंजिष नहीं हैं तथा न ही कोई लेनदेन बकाया हैं। अतःमेरी रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थी एस.डी. जीमल खान जीमल खांS/O नजरा खांमुसलमान ग्राम मांझी का तला, ग्राम पं. कुन्दनपुरा, त. सेड़वा, जिला बाडमेर डण् 9166347240 एस.डी. गवाह भवाराम/ 09.05.2024 एस.डी. गवाह ललितकुमार/ 09.05.2024 एस.डी. किषनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट दिनंाक 08.05.2024 वक्त 03०:15 पी.एम. पर प्रार्थी श्री जमील खां पुत्र श्री नजरा खान, जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, पैशा खेती, निवासी ग्राम मांझी का तला, ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित लिखित रिपोर्ट मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड प्रति के इस आश्य की पेश की कि मेरे नाम से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में एक टांका मय भूमि समतलीकरण कार्य ग्राम पंचायत से स्वीकृत हुआ था, जो पूरा ही कार्य मैंने मेरे अन्य परिजनों के सहयोग से कर दिया हैं, इस कार्य में सामग्री मद में 1.20 लाख रू. एंव श्रम मद में 1.80 लाख रू. सहित कुल 3.00 लाख रू. बजट हैं, सामग्री ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी, किन्तु श्रम मद में लेबर सभी मेरे परिजन एंव रिश्तेदार हैं, जिनके मस्ट्रोल भरकर देने पर श्रम राशि मजदूरों के खाते में जमा होती हैं, करीबन 69000 रू. श्रम मद में आ चुके हैं, शेष राशि के लिए मस्ट्रोल भरने हेतु श्री शंकर लाल मीना ग्राम विकास अधिकारी से मैं मेरे गांव में ही दिनांक 03.05.2024 को मिला एंव बकाया लेबर राशि का पेमेण्ट कराने हेतु मस्ट्रोल भरने का निवेदन किया तो उसने कहा कि 15000 रू. खर्चा पानी दो तो मैं आपका पूरा पेमेण्ट करवा दूंगा, जिस पर मैंने कहा कि गरीब आदमी हूं इतने नहीं पाउंगा, तब उसने 10,000 रू. देने की बात कही, तो मैंने कहा कि घर पर बात करके देखता हूं। मैं मेरे जायज कार्य की ऐवज में वी.डी.ओ. को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरे और वी.डी.ओ. के बीच कोई रंजिश एंव लेनदेन बकाया नहीं हैं। मैं इन्हंे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेष करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिष्वती राषि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मालखाना से एच.एम. श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 के माध्यम से डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाकर इन्हें आॅपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी श्री जमील खां से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 को कार्यालय कक्ष में तबल कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिष्वती राषि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर को आॅपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादी व श्री मिश्रीमल हैड कानि. को समझाईस की गई। तत्पश्चात परिवादी के साथ श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 को मय डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर व उसमें लगे मेमोरी कार्ड का खाली होना सुनिश्चित कर बाद मुनासिब हिदायत के रवाना रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु कुन्दनपुरा-सेड़वा की तरफ किया गया। परिवादी की रिपोर्ट मय संलग्न

दस्तावेजात मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये। परिवादी के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन में भेजे गये श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38 ने उसी दिन रात्रि में जरिये वाॅट्सऐप काॅल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी व परिवादी श्री जमील खां के बीच रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्डिंग करवा ली हैं। वार्ता के दौरान आरोपित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी से श्रमिकों के डिमाण्ड़ लेकर मस्टरोल जारी करवाने की ऐवज में 13,000 रू. रिश्वती राशि की मांग की गई किन्तु परिवादी के आग्रह पर 1000 रू. कम करते हुए 12,000 रू. रिश्वती राशि लेने पर सहमत हुआ हैं, तथा उक्त लेन-देन आगामी दो-तीन दिन में होना तय हुआ हैं। जिस पर श्री मिश्रीमल हैड कानि. मय डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर एंव परिवादी के अविलम्ब चैकी हाजा पर पंहुचने बाबत् निर्देशित किया गया। जिस पर निर्देशानुसार उसी देर रात्रि उक्त हैड कानि. मय परिवादी के चैकी हाजा पर उपस्थित आकर डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर स्वीच आॅफ सुदा पेश कर जरिये वाॅट्सएप काॅल जाहिर किये गये कथन दोहराएं एंव हाजिर परिवादी श्री जमील खां द्वारा भी हैड कानि. के उपरोक्त कथनों की ताईद की गई, जिस पर डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर को आॅन कर रिवर्स कर रिकाॅर्डिंग वार्ता सुनी गई तो आरोपित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी से उनके व्यक्तिगत टांका निर्माण एंव भूमि समतलीकरण कार्य में समय-समय पर श्रमिकों के आवेदन लेकर मस्ट्रोल जारी करवाकर भुगतान कराने की ऐवज में पूर्व में परिवादी से रिश्वती राशि 8500 रू. लेना स्वीकार करते हुए ओर 13000 रू. रिश्वती राशि की मांग करने एंव परिवादी के आग्रह पर 12000 रू. लेने पर सहमत होना पाया गया। जिस पर परिवादी को रिश्वती राशि 12000 रू. सहित दूसरे दिन दिनांक 09.05.2024 को प्रातः कार्यालय हाजा पर पुनः उपस्थित होने एंव प्रकरण की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर फाॅरिक कर रूखसत दी गई, इसी प्रकार श्री मिश्रीमल हैड कानि. को भी निर्देशित किया गया। डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय इस्ट्राॅल सुदा मेमोरी काॅर्ड की स्वीच आॅफ कर मन् उप अधीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। दिनांक 09.05.2024 को प्रातः नियत समय पर परिवादी श्री जमील खां एंव ब्यूरो स्टाफ चैकी हाजा पर उपस्थित आये। परिवादी ने रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं होना बताया जिस पर उसे उक्त राशि की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करने बाबत् हिदायत की जाने पर दोपहर बाद परिवादी ने बताया कि आरोपित को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर ली हैं, जिस पर प्रकरण के हालात उच्च अफसरान से निवेदन कर आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. के माध्यम से जरिये तेहरीर खनि अभियन्ता, खानं एवं भू-विज्ञान विभाग, बाड़मेर से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री भावाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व श्री ललितकुमार कनिष्ट की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी कर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उक्त का पूर्ण परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात हाजिर परिवादी श्री जमीलखां का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परस्पर परिचय करवाकर परिवादी द्वारा कार्यवाही हेतु पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2024 दोनों गवाहान को पढ़वाया गया। डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता भी गवाहान को सुनवाई गई। जिस पर पूर्ण तसल्ली कर श्री भावाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व श्री ललितकुमार कनिष्ट सहायक ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति जाहिर की। प्रकरण हाजा में दिनांक 08.05.2024 को परिवादी व आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो परिवादी के माध्यम से डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में इंस्ट्राॅल SANDIDK 16 GB मेमोरी कार्ड में रिकाॅर्डिंग करवाई गई थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री जमील खांके सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिष्वती राषि मंाग सत्यापन वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटाॅप से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। श्री लालाराम कानि. नं. 328 से उक्त वार्ता की दो सीडी तैयार करवाई जाकर इनमें से एक सीडी को मूल मानते हुये एक कपडे़ की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर मार्क-D अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरी सीडी को डब मानते हुए खुला रखा गया। डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्डिंग वार्ता की हैष वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री जामील खां द्वारा की गई। तत्पश्चात परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू टेªप कार्यवाही में उपयोग में लिये गये डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में रिकाॅर्डिंग हेतु प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDIDK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वाॅयस रिकार्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शिल्डमेाहर कर फर्द मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री जमील खांने अवगत कराया कि आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी ने मुझे कल कहा था कि आपके जो श्रमिकों के आवेदन करने हैं, उनके जाॅब कार्ड व नाम मेरे को कल दे देना, मैं डिमाण्ड देकर मस्ट्रोल जारी करवा दूंगा, इसलिए मुझे रिश्वती राशि लेन-देन से पहले आरोपी के पास जाकर उक्त दस्तावेजात देने आवश्यक हैं, अन्यथा मेरा आगे का काम रूक जायेगा, इसलिए मैं कल 10.5.2024 को उसे कागजात देकर लेन-देन के संबध में जो भी स्थिति होगी, आपसे सम्पर्क कर बता दूंगा, तथा इसके अलावा मेरे स्वयं के कुछ आवश्यक घरेलु कार्य भी हैं, जिस पर दूसरे दिन अक्षय तृतीया का एंव आगे शनिवार-रविवार का

अवकाश होने से आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के मुख्यालय से बाहर जाने/रहने की संभावना व परिवादी के आवश्यक घरेलु कार्य के दृष्टिगत प्रकरण में आगामी कार्यवाही तीन दिन पश्चात करने का निर्णय लिया जाकर अब तक की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान को हालात निवेदन किये जाकर इन तीन दिनों में मुझे भी आवश्यक घरेलु कार्य हैं, इसलिए मैं पूर्ण स्थिति मालुमात कर आपको अवगत करवा दूंगा। परिवादी के उक्त तथ्यों के दृष्टिगत परिवादी द्वारा एस.ओ. से सम्पर्क कर वांछित दस्तावेजात देने के पश्चात लेन-देन के लिए जो भी दिन तय होगा, उसी अनुरूप अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जायेगी। परिवादी श्री जामील खांव दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री भवाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व श्री ललितकुमार कनिष्ट सहायक को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बरतने एंव तलबी पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर फाॅरिक कर रूखसत दी गई। तथा उक्तानुसार ब्यूरो स्टाफ को भी निर्देशित किया गया। प्रकरण के दस्तावेजात एंव सीडी वगैरहा मन् उप अधीक्षक पुलिस स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये। प्रकरण हाजा में दिनांक 10.05.2024 से करीबन 10 दिवस तक परिवादी के हाॅस्पीटल का काम होने से कार्यवाही हेतु परिवादी उपस्थित नही आ सका, एंव दिनांक 20.05.2024 को परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क कर बताया कि अब मैं मेरे हाॅस्पीटल के कार्य से फारिक हो गया हूॅ। इसलिए आज मैने आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी कुन्दनपुरा की मालुमात की तो दिनांक 23.05.2024 तक ग्राम विकास अधिकारी का अपने गांव की तरफ जाना जानकारी मे आया है। जिस पर परिवादी को दिनांक 23.05.2024 को आरोपित ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी का पता कर अवगत कराने तथा प्रकरण मे पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई। दिनांक 23.05.2024 को परिवादी श्री जमील खां ने मन् उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क कर बताया कि आरोपित ग्राम विकास अधिकारी अभी कुछ देर पहले अपने गांव से वापिस लौट आया हैं, जो इस समय कस्बा सेड़वा स्थित अपने किराये के कमरे पर हंै। जिस पर दूसरे दिन दिनांक 24.05.2024 को आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध टेªप कार्यवाही आयोजित करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को रिश्वती राशि 12000 रूपये की व्यवस्था कर मय रिष्वती राषि 12000 रू. के दिनांक 24.05.2024 को प्रातः 10.00 ए.एम. पर सरहद धनाऊ में धोरीमन्ना फाण्टा पर टेªप दल से मिलने हेतु निर्देशित किया गया। श्री हनीफ खां ए.एस.आई के माध्यम से दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं चैकी जाब्ता को प्रातः नियत समय पर चैकी हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवाया जाकर टेªप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन की व्यवस्था करने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 24.05.2024 को निर्देशानुसार प्रातः नियत समय पर हस्ब तलबिदा दोनांे स्वतन्त्र गवाहान श्री भवाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व श्री ललित कुमार कनिष्ट सहायक तथा ब्यूरो जाब्ता चैकी हाजा पर उपस्थित आये, कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री सुराब खां को टेªप बाॅक्स तैयार करने एवं एक कागज की पुडिया मे फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार कर श्री सहदेवसिह कनिष्ठ लिपिक को सुपुर्द करने बाबत निर्देशित किया गया। कुछ समय पश्चात तलबसुदा प्राईवेट वाहन नम्बर जी.जे. 08 ए जे 1829 मय चालक श्री तनसिंह ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, जिन्हें शामिल टेªप दल किया गया। तत्पश्चात वक्त 09ः30 ए.एम. पर मन किशनसिह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ स.उ.नि., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि.38, श्री अनूपसिह हैड कानि.44, श्री ठाकराराम कानि. 440, श्री बांकाराम कानि.584, श्री लालाराम कानि.328, श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक, दोनांे स्वतन्त्र गवाहान श्री भवाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय व श्री ललित कुमार कनिष्ट सहायक चैकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. श्री पवन कुमार एवं प्राईवेट वाहन नम्बर जी.जे. 08 ए जे 1829 मय चालक श्री तनसिंह के प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वाॅईस रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटाॅप, प्रिन्टर, टेªप बाॅक्स, फिनाॅफ्थलीन पाउडर की पुड़िया एवं अन्य आवश्यक सामग्री के परिवादी श्री जमील खां को मय रिष्वती राषि के सरहद धणाऊ में धोरीमन्ना फाण्टा पर उपस्थित मिलने हेतु निर्देषित कर रवाना होकर सरहद धणाऊ में धोरीमन्ना फाण्टा पर पंहुचे, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री जमील खां उपस्थित मिला, जिसने रूबरू गवाहान बताया कि मैं आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी को दी जाने वाली रिष्वती राषि साथ लेकर आया हूं तथा मैंने अभी-अभी आरोपी ग्राम विकास अधिकारी का पता किया तो इस वक्त वो ग्राम पंचायत भवन कुन्दनपुरा में मौजूद हैं। जिस पर उक्त फाण्टे के पास ही स्थित एक होटल (ढाबे) के अहाते में रूककर दोनों गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जमील खां से आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया, तो परिवादी ने भारतीय मुद्रा पाॅच-पाॅच सौ रुपये के 24 नोट, कुल राषि 12,000 रुपये अपने कमीज की जेब से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार है- 1 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 1 VR 563517 2 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 2HQ 555351 3 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 0VV 761308 4 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 3BF 024034 5 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 3AU 849323 6 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 4PC 746197 7 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 2QR 627122 8 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 8ST 335064 9 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 1PT 976780 10 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 6AH 176776 11 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 0DG 155491 12 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 7EC 315368 13 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 0TP 0999827 14 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 8KT 945594 15 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 2TG

077711 16 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 6CP 798708 17 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 4BQ 536033 18 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 5UD 334971 19 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 8LC 983132 20 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 3TG 172386 21 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 4UK 580800 22 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 0VG 354362 23 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 1CV 437520 24 एक नोट पाॅच सौ रुपये का नम्बरी 2PL 992793 ब्यूरो कार्यालय बाडमेर से वक्त रवानगी श्री सहदेवसिह कनिष्ठ लिपिक के हमराह साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर की पुडिया में से फिनोफ्थलीन पाउडर को निकलवाया जाकर श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक से उक्त 12000 रू के सभी नोटों को प्राईवेट वाहन की पिछली सींट पर एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री जमील खां की जामा तलाशी गवाह श्री भवाराम सहायक लेखाधिकारी से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटों को परिवादी श्री जमील खां के पहने हुए कुर्ते के दांहिने साईड की जेब में श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे, तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर हाथ फैर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिसकाॅल/काॅल करके गोपनीय ईषारा करें। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को दूर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास, शेष बची फिनोफ्थलीन पाउडर की पुडिया एवं रिष्वती राषि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, तथा समस्त टेªप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दोे बार धुलवाया गया । फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् उप अधीक्षक पुलिस, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपने-अपने मोबाईल स्वयं के पास रखे। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर हमराह लाये गये लेपटाॅप-प्रिन्टर को से प्रिण्ट आउट निकलवाकर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सहदेवसिंह कनिष्ट सहायक को धोवन कार्यवाही तक ट्रेप दल से पृथक रहने हेतु निर्देषित कर परिवादी को हमराह लेकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप कार्यवाही हेतु धणाऊ-धोरीमन्ना फाण्टा से रवाना होकर ग्राम पंचायत भवन कुन्दनपुरा के पास पहुंच राजकीय व निजी वाहनों को रोककर परिवादी श्री जमील खां से एक बार पुनः रिष्वती राषि लेन-देन के संबध में मुनासिब समझाईष कर आस-पास की लोकेषन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवष्यक ब्रीफिंग की गई। बाद परिवादी श्री जमील खां को डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर मय इस्ट्रांलसुदा मेमोरी काॅर्ड के आॅन कर सुपुर्द कर आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी से रिष्वती राषि लेन-देन बाबत् सम्पर्क करने हेतु रवाना ग्राम पंचायत भवन कुन्दनपुरा की तरफ किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान वहीं ग्राम पंचायत के आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईषारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ देर बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जमील खां ने ग्राम पंचायत भवन कुन्दनपुरा से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईषारा अपने मोबाईल से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिसकाॅल कर रिष्वत राषि लेन-देन होने की सूचना दी, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान मय प्राईवेट वाहन एंव राजकीय वाहन के ग्राम पंचायत परिसर कुन्दनपुरा में प्रवेषित होकर प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन से नीचे उतर कर ग्राम पंचायत भवन में स्थित आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय कक्ष के दरवाजे पर खड़े परिवादी श्री जमील खां के पास पंहुच उनसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर प्राप्त कर स्वीच आॅफ कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा, कि परिवादी ने कक्ष में सामने टेबल-कुर्सी पर कागजी कार्य कर रहे एक पैण्ट-षर्ट पहने व्यक्ति की तरफ ईषारा कर बताया कि यही श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी हैं, इन्होनें अभी-अभी मेरे से इस कक्ष के सामने वाले रूम में मेरे से 12000 रू. रिष्वत राषि मांग कर प्राप्त कर गिनकर वापस अपने इसी कक्ष में आकर पास में बैठे हमारे गांव कुन्दनपुरा के ई मित्र संचालक श्री सुभान खां को दिए, जिसने इनसे रिष्वती राषि प्राप्त कर अपने पहनी

हुई जीन्स-पैण्ट के बांये साईड की जेब में रखे और ग्राम विकास अधिकारी के कहने पर यहां से उठकर सामने वाले रूम में चला गया, जिस पर जल्दी-जल्दी आरोपित ग्राम विकास अधिकारी की निगरानी में श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई मय जाब्ता को मामुर कर परिवादी, गवाहान एंव अन्य ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर सामने वाले रूम में पंहुचे, जहां खड़े एक युवक की तरफ ईषारा कर परिवादी ने बताया कि यही ई मित्र संचालक सुभान खां हैं, जिसने ग्राम विकास अधिकारी से रिष्वती राषि प्राप्त कर अपनी जीन्स पैण्ट के बांये साईड की जेब में रखकर यहां आ गया, जिस पर सुभान खां को दस्तियाब कर हमराह लेकर मय हमराहियान के पुनः ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय कक्ष में पहुंच दोनों दस्तियाब सुदा आरोपितों को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना एंव हमराहियान का परिचय देकर मन्तव्य से अवगत कराते हुए उक्त दोनों का परिचय पूछा तो पूर्व से टेबल-कुर्सी पर कागजी कार्य कर रहे व्यक्ति ने हड़बड़ाते हुए अपना परिचय श्री शंकरलाल मीना पुत्र श्री मोहनलाल मीना, उम्र 22 वर्ष, निवासी मौजपुरा, पोस्ट फूलेता, तहसील नगर, जिला टोंक, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा, पंचायत समिति सेड़वा, जिला बाड़मेर तथा दूसरे ने अपना परिचय श्री सुभान खांपुत्र श्री दोस्त अली, जाति मुसलमान, उम्र 25 वर्ष, पैषा ई-मित्र संचालक (गोसिया ई मित्र) निवासी कुन्दनपुरा, पुलिस थाना सेडवा, जिला बाड़मेर के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी श्री जमील खां को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिष्वती राषि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि हां, मैं इन्हें पहचानता हूं, इनके महानरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ का टांका निर्माण कार्य स्वीकृत हो रखा हैं, इनके टांका निर्माण सहित काफी कार्य हो चुका हैं, श्रमिकों के कुछ मस्ट्रोल रनिंग प्रक्रिया में हैं जो सभी मस्ट्रोल एम.बी. में इन्द्रांज हेतु जे.टी.ए. श्री अरूणकुमार यादव को दिये हुए हैं, जो उनके पास ही हैं। कुछ पुराने मस्ट्रोल यहां ग्राम पंचायत में ही रखे हुए हैं। मैंने इनसे आज कोई रिष्वत राषि नहीं ली हैं, अभी कुछ देर पहले यह यहां आया था, मेरे पास पूर्व से बैठे ई मित्र संचालक श्री सुभान खां इस जमील खां से 12000 रू. मांग रहा था, जो राषि जमील खां ने सुभान को देने से पहले मुझे कहा कि आप गिनो पूरे 12000 हैं या नहीं, जिस पर मैंने इनसे राषि लेकर गिनी तो पूरे 12000 रू. हुए, जो मैंने इनके कहने से उसी समय ई मित्र संचालक श्री सुभान खां को दे दी, जो उक्त राषि लेकर यहां से उठकर चला गया, इतने में आप लोग आ गये। इसके अलावा मेरा जमील खां एंव सुभान खां से कोई मतलब एंव संबध नहीं हैं। जिस पर हाजिर परिवादी श्री जमील खां ने स्वेच्छा से आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि यह बिल्कुल ही झूंठ बोल रहा हैं, सुभान खां मेरे से कोई राषि नहीं मांगता हैं एंव न ही आज मैंने सुभान खां की कोई मांगती राषि चुकाई हैं, वास्तविकता यह हैं कि मेरे नाम से स्वीकृत टांका निर्माण एंव भूमि समतलीकरण कार्य में श्रमिकों के मस्ट्रोल जारी करवाकर, भरकर श्रम राषि श्रमिकों के खातों में जमा कराने की ऐवज में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 8.5.2024 को मेरे से रिष्वती राषि 12000 रू. की मांग की, जो मैंने एसीबी के टेप में रिकॉर्डिंग की थी, उसी वार्ता के अनुसार आज अभी कुछ देर पहले मैं यहां इनके पास आया तो मुझे ये यहां से उठाकर सामने वाले रूम में लेकर गया व कहा कि डेढ सौ के हिसाब से आपके 13000 रू. होते हैं, जिस पर मैंने इन्हें पैसे देते हुए कि ये 12000 हैं गिन लो, तब इन्होनें पैसे लेकर अपने हाथों से गिने एंव इस दौरान मेरा मोबाईल मेरे हाथों में होने से ग्राम विकास अधिकारी ने मुझसे कहा कि आपने मेरा फोटो खींचा या रिकॉर्डिंग की हैं, तब मैंने कसम देकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया हैं, जिस पर इन्होनें कहा कि फोटो या रिकॉर्डिंग किया तो मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, मैंने दुबारा विष्वास दिलाया कि मैंने कुछ नहीं किया हैं फिर ये रिष्वती राषि 12000 रू. अपने हाथों में लेकर सामने वाले रूम से वापस इस रूम में आये व यहां वीडीओ की टेबल-कुर्सी के पास बैठे ई मित्र संचालक श्री सुभान खां को रूपये दे दिये, जो राषि सुभान खां अपने पहनी हुई जीन्स पैण्ट के बांये साईड की जेब में रखकर वीडीओ के कहने पर यहां से उठकर सामने वाले रूम में चला गया। इसी दौरान मेरे मिसकॉल पर आप लोग आ गये और दोनों को पकड़ लिया। जिस पर पुनः आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी से पूछा गया तो दोनों हाथ जोड़कर कहा कि साहब मैं क्या करूं, आगे बी.डी.ओ., जे.टी.ए. व सरपंच सभी मांगते हैं, सबको देना पडता हैं, शुरूआत में दस-पन्द्रह दिनों तक आगे पंचायत समिति में मेरा कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन आगे देने के लिए लोगों से मुझे लेने पडते हैं, उन लोगों ने पिछले आठ महिने से मेरी आई.डी. तक नहीं बनाई हैं, जिससे मुझे आज दिन तक वेतन नहीं मिला हैं, साहब गलती हो गई, एक मौका दे दो, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा, नया-नया नौकरी पर लगा हूं और आर.ए.एस. की भी तैयारी कर रहा हूं मेरी लाईफ बर्बाद हो जायेगी, मुझे माफ करो। जिस पर आरोपित ग्राम विकास अधिकारी को ढाढंस बंधाकर शान्ति से बैठने की हिदायत की गई। तत्पष्चात सह-आरोपी श्री सुभान खां से रिष्वती राषि प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स-पैण्ट की जेब में रखकर वीडीओ के कहने से सामने वाले रूम में चले जाने के बारे में पूछा गया तो कहा कि मैं ग्राम विकास अधिकारी के कहने से इनके लिए लेन-देन व कागजी कार्यवाही करता रहता हूं, इस लेन-देन के संबध में ही मेरे ग्राम विकास अधिकारी में 10,000 रू. बकाया थे, जो आज मैंने इनसे लिये थे एंव इनके कक्ष में जगह नहीं होने से इनके कहने पर पैसे लेकर सामने वाले रूम में चला गया, इतने में आप लोग आ गये। दोनों आरोपितों के कथनों में भारी विरोधाभाष पाया गया, चूंकि आरोपित ग्राम विकास अधिकारी ने सुभान खां का परिवादी से पैसे मांगने व परिवादी के कहने पर गिनकर सुभान खां को देने, जबकि सह आरोपी सुभान खां ने आरोपित ग्राम विकास अधिकारी में अपने 10000 रू. बकाया होने से पैसे लेना स्वीकार किया, जबकि राषि 10,000 रू. न होकर 12000 रू. हैं, दोनों ही आरोपितों के

स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टिया मानने योग्य एंव संतोषजनक नहीं पाया गया। तत्पष्चात स्वतन्त्र गवाह श्री भवाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कोे सह-आरोपी श्री सुभान खां के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांये साईड की जेब को चैक करने हेतु कहा जाने पर गवाहान द्वारा सह आरोपी की उक्त जेब को चैक किया गया तो जेब में भारतीय मुद्रा के 500-500 रू0 के नोट रखे पाये गये, जिस पर उक्त राषि को स्वतन्त्र गवाह श्री भवाराम से ही गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 24 नोट, कुल राषि 12000 रू0 होने पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री ललित कुमार कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेषकषी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेषकषी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिष्वती राषि गवाह श्री भवाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पष्चात आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए दो साफ बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच-2 अंकित किया गया। तत्पष्चात सह-आरोपी श्री सुभान खां के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए बोतल का साफ पानी दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में सह-आरोपी श्री सुभान खां के दांहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-3 व आर.एच.-4 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में सह-आरोपी श्री सुभान खां के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को भी पूर्ववत् कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.-3 व एल.एच-4 अंकित किया गया। सह-आरोपी श्री सुभान खां के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांयी साईड की जेब में से रिष्वती राषि बरामद होने से उक्त पैण्ट जेब का भी धोवन लिया जाना आवष्यक होने से सह आरोपी के पहनने हेतु एक अन्य पैण्ट की व्यवस्था करने के लिए श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. को निर्देषित किया गया, तत्पष्चात आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी से परिवादी श्री जमील खां के व्यक्तिगत टांका निर्माण कार्य से संबधित दस्तावेजात पेष करने का कहा गया तो आरोपित ग्राम विकास अधिकारी ने व्यक्तिगत टांका निर्माण जमील/नजरा के मस्टर रोल (अकुषल श्रमिकों हेतु) मस्टरोल सं. 48314 अवधि 16.12.2023 से 31.12.2023 तक व मस्टरोल सं. 54298 अवधि 03.01.2024 से 15.01.2024 तक मूल पेष किये, जिसके बारे में पूछने पर आरोपी ने बताया कि उक्त दोनों मस्टरोलों की राषि का भुगतान संबधित श्रमिकों को किया जा चुका हैं, मस्टरोलों के बारे में पूछने पर बताया कि दो-तीन मस्टरोल ओर जारी करवाकर भरे गये हैं, किन्तु एम.बी. भरने हेतु उक्त मस्टरोल जे.टी.ए. श्री अरूणकुमार यादव मेरे से लेकर गये थे, जो उनके पास ही हैं, बकाया श्रमिक भुगतान के बारे में पूछने पर बताया कि सभी मस्टरोल देखकर बता सकता हूं अब मुझे कोई ध्यान नहीं हैं। आरोपित द्वारा पेष दोनों मूल मस्टरोल प्रकरण में वांछित होने से इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर रूबरू मौतबिरान जब्त किये गये। साथ ही आरोपित के कार्यालय कक्ष को चैक किया गया तो सिवाय कार्यालय दस्तावेजात के अन्य कोई संदिग्ध राषि, दस्तावेजात एंव वस्तु आदि नहीं पाई गई एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। इसी दौरान मौकास्थल जो कि ग्राम कुन्दनपुरा की आबादी बस्ती में आया हुआ होने से आस-पास के लोगों की ग्राम पंचायत में भीड़ जुटनी शुरू हो गई, जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही पास ही स्थित पुलिस थाना सेड़वा पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर ग्राम पंचायत को तालाबंद करवाकर चाबी मौके पर हाजिर आई श्रीमति आषा कुमारी मीना कनिष्ट लिपिक ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा को सुपुर्द की जाकर दस्तियाब सुदा आरोपीगण श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी व श्री सुभान खां ई-मित्र संचालक को हमराह लेकर मन् किषनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ब्यूरो जाब्ता के सदस्यगण मय धोवन के सील्डयुक्त पैकेट एंव रिष्वती राषि सहित टेªप बाॅक्स, कार्यालय का लेपटाॅप, प्रिन्टर, डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर व अन्य आवष्यक सामग्री के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा से रवाना होकर पुलिस थाना सेड़वा पंहुच थानाधिकारी की मौखिक अनुमति से एस.एच.ओ. कक्ष एंव कम्पयुटर कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर सह-आरोपी श्री सुभान खां के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांयी

साईड की जेब जिसमें से रिष्वती राषि बरामद हुई थी, का धोवन लेने हेतु श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस.आई. द्वारा निर्देषानुसार आरोपी के पहनने हेतु थाना हाजा से एक अन्य लोअर/ट्रेकसूट पायजामा की व्यवस्था की, जो उसे पहनने हेतु दिया जाकर उसके वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट को उतरवाकर चैक किया गया तो उक्त हल्के कबूतरी कलर की जीन्स-पैण्ट जिसके दांहिनी साईड की कमर पट्टी पर LNJ JEANS HOMME का स्टीकर लगा हुआ पाया गया। उक्त जीन्स-पैण्ट के बांये साईड की जेब के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्लास्टिक की एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक-दो चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के बांये साईड की जेब को उलटवाकर तीन-चार बार डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित किया गया। बाद जीन्स-पैण्ट की जेब को कुछ देर तक धूप में सुखाकर जेब के अन्दर की तरफ आरोपी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कपड़े की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर भी संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाए जाकर इस पर मार्क-पी अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पष्चात स्वतन्त्र गवाह श्री भावाराम सहायक लेखाधिकारी द्वितीय जिन्हें पूर्व में बरामदा रिष्वती राषि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 24 नोट, कुल राषि 12000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री ललितकुमार कनिष्ट सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेषकषी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेषकषी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेषकषी के मुताबिक पाये गये। जो रिश्वती राशि होने से इसे एक सफेद कपडे़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-M अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। दौराने बरामदगी कार्यवाही आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी के पास एक मोबाईल वीवो कंपनी का ड्यूल आई.एम.ई.आई. नं. 862651059672011 व 862651059672003 जिसमें जियो सिम नं. 6376952053 व ऐयरटेल सिम नं. 7023182053 लगी होकर वाॅट्सऐप नं. 6376952053 व मोबाईल का स्क्रीन लाॅक 1, 2, 3, 4 होना पाया गया। इसी प्रकार सह आरोपी श्री सुभान खां के पास भी एक मोबाईल ओपो कंपनी का ड्यूल आई.एम.ई.आई. नं. 869663061635715 व 869663061635707 जिसमें एक जियो सिम नं. 9680271586 व दूसरी ऐअरटेल सिम नं. 9649541703 लगी होकर वाॅट्सऐप नं. 9680271586 व मोबाईल का स्क्रीन लाॅक 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना पाया गया । उक्त दोनों मोबाईल्स का अवलोकन किया गया तो आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी एंव सह-आरोपी श्री सुभान खां के मध्य परस्पर कई बार वाॅट्सऐप चेटिंग एंव काॅल वार्ता होना पाया गया, सह आरोपी श्री सुभान खां द्वारा अपने मोबाईल वाॅट्सऐप में SL MEENA VDO KUNDA नाम से तथा आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सह-आरोपी श्री सुभान खां को KUNDAN E MITR नाम से सेव कर रखे थे, सह आरोपी सुभान खां के मोबाईल में आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी (SL MEENA VDO KUNDA) की दिनांक 15.10.2023 से दिनांक 23.05.2024 तक की व इसी प्रकार आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल में सह आरोपी श्री सुभान खां (KUNDAN E MITR) की भी दिनांक 15.10.2023 से दिनांक 23.05.2024 तक की चेटिंग मौजूद होना पाया गया। इन चेटिंग्स का अवलोकन किया गया तो दोनों के मध्य राजकीय दस्तावेजात का आदान प्रदान होना, तथा कई संदिग्ध लेन-देन की चेटिंग पाई जाने से रेण्डमली तीन संदिग्ध चेटिंग के स्क्रीन शाॅट के प्रिन्ट आउट निकालकर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत शामिल पत्रावली किये गये। दोनों आरोपितों के उक्त मोबाईल प्रकरण के अग्रिम अनुसंधान में वांछित होने से अनुसंधान अधिकारी के अवलोकन एंव विष्लेषण हेतु खुली हालत में रखे जाकर स्वीच आॅफ कर रूबरू गवाहान चेपायुक्त कर कब्जा ब्यूरो लिये जाकर आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल पर मार्क V व सह-आरोपी श्री सुभान खां के मोबाईल पर मार्क E अंकित कर चेपों पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान श्री मोहम्मद हनीफ एएसआई को जे.टी.ए. श्री अरूणकुमार यादव को परिवादी के कार्य संबधित दस्तावेजों के साथ तलब करने हेतु भेजा गया जिसने पंचायत समिति सेडवा से वापिस आकर बताया कि वो पंचायत समिति में नहीं मिले हैं तथा उनका मोबाईल भी स्वीच आॅफ आ रहा हैं तथा विकास अधिकारी भी कहीं बाहर गये हुए हैं। अतः परिवादी से संबधित जे.टी.ए. श्री अरूणकुमार यादव के पास मौजूद दस्तावेजात प्राप्त नहीं किये जा सके। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी एंव सह-आरोपी श्री सुभान खां मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात घटनास्थल पंहुच रूबरू गवाहान परिवादी श्री जमील खां की निशांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर हस्ब कायदा फर्द मुर्तिब की गई। इसके पश्चात दिनांक 24.05.2024 को परिवादी व आरोपित ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप जो परिवादी के माध्यम से डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में इंस्ट्राॅल SANDIDK 08 GB मेमोरी कार्ड में रिकाॅर्डिंग करवाई गई थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री जमील खांके सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिष्वती राषि लेन-देन

वार्तालाप मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा कार्यालय लेपटाॅप से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। श्री लालाराम कानि. नं. 328 से उक्त वार्ता की दो सीडी तैयार करवाई जाकर इनमें से एक सीडी को मूल मानते हुये एक कपडे़ की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर मार्क-L अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरी सीडी को डब मानते हुए खुला रखा गया। डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्डिंग वार्ता की हैष वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री जामील खां द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में सम्पादित उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री शंकरलाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा व सह-आरोपी श्री सुभान खां गोसिया ई-मित्र संचालक कुन्दनपुरा के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120-बी भा.दं.सं. प्रमाणित पाया जाने से हर दोनों अभियुक्तगण को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इन्हें ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर दोनों अभियुक्तों की फर्द गिरफ्तारी पृथक-पृथक मुर्तिब कर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपित के साथी स्टाफ श्रीमति आशाकुमार मीना कनिष्ट सहायक व श्रीमति विकलेशकुमारी कनिष्ट सहायक को रिकाॅर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन व वक्त लेन-देन वार्ता सुनाई जाने पर दोनों मुलाजमानों द्वारा वार्ताओं के मुख्यांष को ध्यानपूर्वक सुनकर इनमें रिकाॅर्डिंग आरोपी श्री शंकरलाल मीना के आवाज की पहचान की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द आवाज पहचान मुर्तिब कर इस संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद परिवादी एंव दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू टेªप कार्यवाही में वक्त लेन-देन वार्ता रिकाॅर्ड करने हेतु डिजीटल वाॅयस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDIDK 08 GB जो मूल ही डिजीटल वाॅयस रिकार्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शिल्डमेाहर कर फर्द मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दोनों आरोपितों का राजकीय चिकित्सालय सेड़वा से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। आरोपित लोकसेवक श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी की नई नौकर होकर वर्तमान में परीवीक्षाकाल में हैं, जिनके सेवाकाल एंव जीवन स्तर को देखते हुए इनके विरूद्ध आय से अधिक सम्पति रखने के कोई साक्ष्य सामने नहीं आने से इनके निवास स्थान की खाना तलाशी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में मौके की उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर परिवादी श्री जमील खां को बमुकाम सेड़वा से ही सकूनत के लिए फाॅरिक कर दोनों गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी व सह आरोपी श्री सुभान खां को हमराह लेकर मन् किषनसिंह उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री मोहम्मद हनीफ स.उ.नि., श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री नूर मोहम्मद हैड कानि. 56, श्री सुराब खां हैड कानि.97, श्री मिश्रीमल हैड कानि.38, श्री अनूपसिह हैड कानि.44, श्री ठाकराराम कानि. 440, श्री बांकाराम कानि.584, श्री लालाराम कानि.328, श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री भावाराम व श्री ललितकुमार आदि मय डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर, ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप, मालखाना आईटम्स सील्डयुक्त बरामदा रिष्वती राषि 12000 रू., धोवन की शीषियां मार्क आर.एच. -1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, आर.एच.-3, आर.एच.-4, एल.एच.-3, एल.एच.-4, पी.-1, पी.-2, जीन्स-पैण्ट पैकेट मार्क पी, आरोपितों के दो मोबाईल्स, सील्डयुक्त मूल सीडी एंव डब सीडी, सील्ड युक्त मेमोरी कार्ड आदि के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री पवनकुमार एंव प्राईवेट वाहन मय चालक श्री तनसिंह के पुलिस थाना सेड़वा से रवाना होकर एसीबी ओपी बाड़मेर पंहुचा, गिरफ्तार सुदा दोनों अभियुक्तगणों को रात्रि सुरक्षार्थ श्री मोहम्मद हनीफ ए.एस. आई. मय जाब्ता के माध्यम पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। प्रकरण के समस्त मालखाना प्रादर्श (आईटम) प्रभारी मालखाना श्री सुराब खां हैड कानि. नं. 97 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। गिरफ्तार सुदा दोनों अभियुक्तगणों को आईन्दा माननीय विषिष्ठ न्यायालय, भ्र.नि.अ. जोधपुर संख्या 01 के समक्ष पेष कर अभियुक्तगण के संबध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले आदेषों की पालना होगी। उपरोक्त हालात से आरोपी श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से सह-आरोपी श्री सुभान खां ई-मित्र संचालक ग्राम कुन्दनपुरा से मिलीभगत कर परिवादी श्री जमील खां के नाम से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में स्वीकृत सुदा व्यक्तिगत टांका निर्माण मय भूमि समतलीकरण कार्य, जिसकी कार्यकारी ऐजेन्सी ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा होकर कार्य में सामग्री मद में 1.20 लाख रू. एंव श्रम मद में 1.80 लाख रू. सहित कुल 3.00 लाख रू. बजट में से श्रम मद में श्रमिकों के समय-समय पर डिमाण्ड/आवेेदन लेकर पाक्षिक मस्ट्रोल जारी कर उसमें श्रमिकों की हाजरियां भरकर श्रम राशि पारित करवाकर मजदूरों के खाते में जमा करवाने की ऐवज में आरोपित श्री शंकरलाल मीना ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा द्वारा परिवादी से वक्त सत्यापन दिनांक 08.05.2024 को 12000 रू. रिष्वती राषि की मांग कर दिनांक 24.05.2024 को कार्यालय ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा में परिवादी श्री जमील खां से उक्त तय सुदा रिष्वती राषि 12000 रू. प्राप्त कर एसीबी दल का अन्देषा होने पर अपने पास बैठे ई मित्र संचालक श्री सुभान खां को देने पर इन्हें रंगे

हाथों गिरफ्तार किया जाने से आरोपितों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120-बी भा.दं.सं. का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण श्री शंकरलाल मीना पुत्र श्री मोहनलाल मीना, उम्र 22 वर्ष, निवासी मौजपुरा, पोस्ट फूलेता, तहसील नगर, जिला टोंक, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा, पंचायत समिति सेड़वा, जिला बाड़मेर व सह-आरोपी श्री सुभान खां पुत्र श्री दोस्त अली, जाति मुसलमान, उम्र 25 वर्ष, पैषा ई-मित्र संचालक (गोसिया ई मित्र) निवासी कुन्दनपुरा, पुलिस थाना सेडवा, जिला बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) व 120-बी भा. दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेष फरमावें। भवदीय (किशनसिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर..... कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री किशनसिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों बाडमेर, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1.श्री शंकरलाल मीना पुत्र श्री मोहनलाल मीना, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनपुरा, पंचायत समिति सेडवा, जिला बाडमेर एवं 2.श्री सुभान खां पुत्र श्री दोस्त अली, पैशा–ई मित्र संचालक(गोसिया ई मित्र) निवासी कुन्दनपुरा, पुलिस थाना सेडवा, जिला बाडमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री संग्राम सिंह भाटी, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 408 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 499-502 दिनांक 25.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर। 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बाडमेर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेऱ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** sangram singh bhati **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/05/2024 18:56:26

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	08/08/2001				
2	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)